पत्र संख्या– 14/डी0 एल0 ए0 गोपालगंज (आर0सी0सी0पुल)–39/2013

समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला भू–अर्जन शाखा)

अधिसूचना

संख्या– 2256/आर0 दिनांक– 13-09-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–भगवानपुर थाना नम्बर–574, थाना–पंचदेवरी, परगना–कुआड़ी जिला–गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् गोपालगंज जिलान्तर्गत कटेया सेमरा पथ में झरही नदी पर आर सी0सी0 पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम–भगवानपुर, थाना नम्बर–574 के भीतर भूमि का एक **टूकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमो–बेश 0.20 एकड़ के बराबर होता है**

जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित हैं:–

1588 अंश, 1590 अंश,

जिसकी चौहदी निम्नांकित हैं:-

उत्तर :– खेसरा 588 अंश, 1590 अंश,

दक्षिण:– खेसरा 1101 अंश, सड़क रोड।

पूरब :– सीवान किलपुर थाना नं0–576

पश्चिम :–खेसरा 1101 अंश, 1588 अंश,

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम–1894 यथा संशोधित–1984 की धारा–4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन 1961 के द्वारा संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध है। अर्जित की जाने वाले भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

समाहर्त्ता, गोपालगंज, भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे वरीय परियोजना अभियंता, कार्यप्रमण्डल संख्या–2 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 बिहार, पटना और उनके कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा–2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

चूँकि यह भू–अर्जन योजना तुरन्त आवश्यक है।

अतः बिहार भू–अर्जन अधिनियम –1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 17(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त अधिनियम की धारा 5–ए इस मामले में लागू नहीं होगी।

समाहर्त्ता
गोपालगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर/~~उप~~ सचिव

ज्ञापांक संख्या – 14 / डी0 एल0 ए0 गोपालगंज (आर0सी0सी0पुल)–39 / 2013 - २२५६/रा०
दि०- 13-09-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, गोपालगंज को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता, गोपालगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

13/9/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।